सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2020 / 00263 दर्ज तिथिः— 30.09.2002

1. लालाराम पुत्र भोमाराम के फोत कायम मुकाम
   1 / 1 जगमालराम पुत्र लालाराम
   1 / 2 हरीराम पुत्र लालाराम
   1 / 3 मगाराम पुत्र लालाराम
   1 / 4 हरखु देवी पत्नी लालाराम
2. पुनमाराम पुत्र भोमाराम
3. दलाराम पुत्र भोमाराम जातियान जाट
   निवासीयाम पुंजाबेरी तहसील गुडामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. खेताराम पुत्र जगमाल फोत के कायम मुकाम
   1 / 1 नारीगांराम पुत्र खेताराम
   1 / 2 डुंगराराम पुत्र खेताराम
   1 / 3 जीयाराम पुत्र खेताराम
   1 / 4 अरजनराम पुत्र खेताराम
   1 / 5 जोधीदवी पुत्री खेताराम
2. मालाराम पुत्र खेताराम
   2 / 1 हेमाराम पुत्र मालाराम
   2 / 2 हीराराम पुत्र भालाराम
   2 / 3 भीखाराम पुत्र मालाराम
   2 / 4 चम्पा देवी पत्नी मालाराम
   2 / 5 लेहरो देवी पुत्री मालाराम पत्नी हेताराम
   2 / 6 कमलादेवी पुत्री मालाराम
   2 / 7 पेमी देवी पुत्री मालाराम
3. भेराराम पुत्र ईसराराम
4. शान्तिदेवी पुत्री ईसराराम पत्नी देराजराम
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय दिनांकः—09.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः—
    - कि वादी और प्रतिवादी संख्या 01—09 का एक ही संयुक्त परिवार है। उक्त संयुक्त परिवार का एक ही पुरूष पूर्वज लिछमणा है। जिसका वंशवृक्ष निम्न प्रकार है—

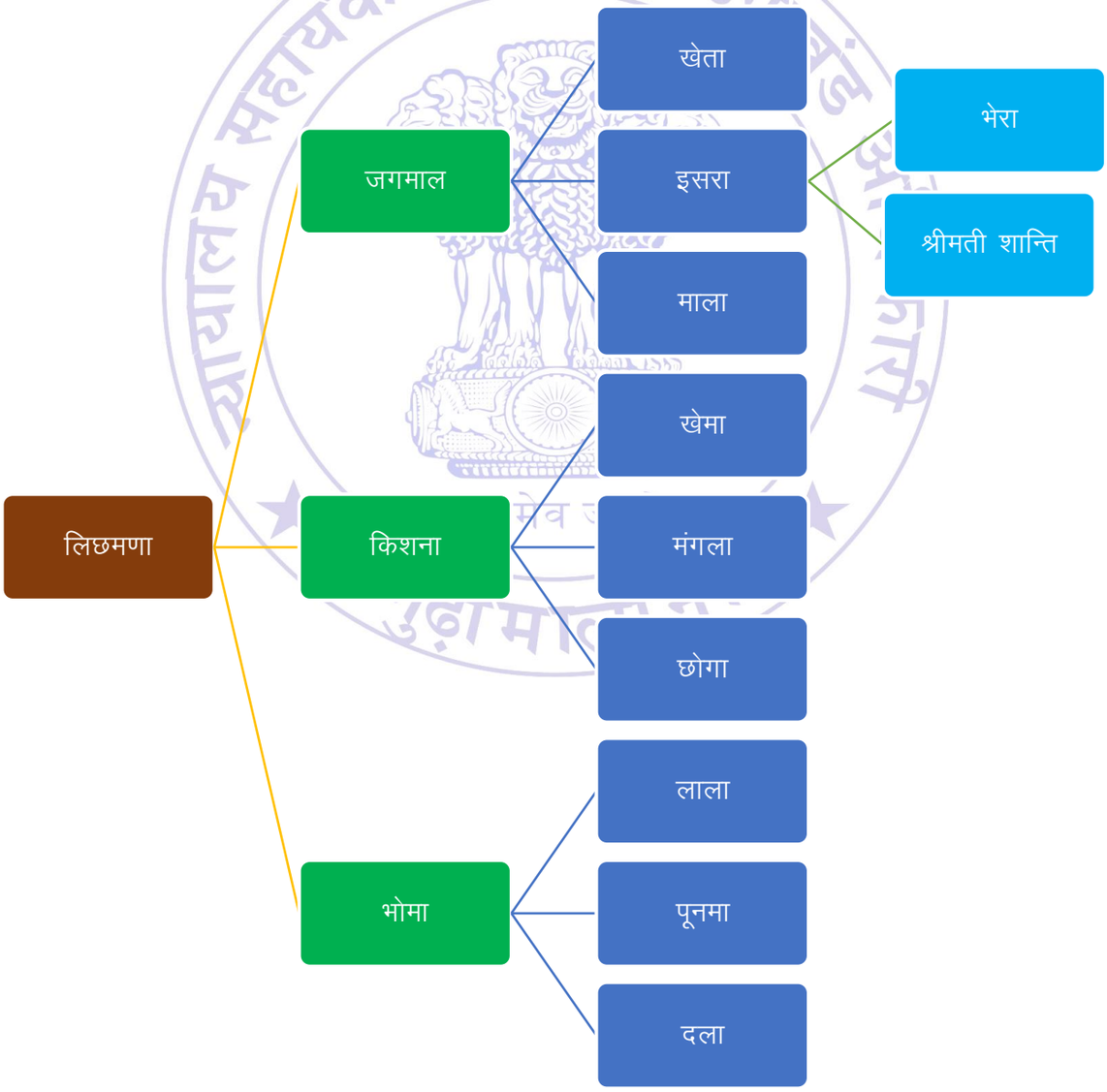

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

- वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मौजा पुंजाबेरी व हेराज का गोल तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित मुतनाजा आराजी का विवरण निम्न प्रकार है—

राजस्व ग्राम— पूंजाबेरी

खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)
34	28 बीघा 07 बिस्वा
143	13 बीघा 14 बिस्वा
147	44 बीघा 13 बिस्वा
133	34 बीघा 1 बिस्वा
146	120 बीघा 11 बिस्वा
37	119 बीघा 5 बिस्वा
145	1 बीघा 8 बिस्वा
35	4 बिस्वा
36	4 बिस्वा
कुल रकबा	362 बीघा 02 बिस्वा

राजस्व ग्राम—हेराज का गोल

खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)
37	154 बीघा
90	22 बीघा 8 बिस्वा
89	90 बीघा 8 बिस्वा
कुल रकबा	256 बीघा 16 बिस्वा

- कि उक्त मुतनाजा आराजी संयुक्त परिवार के पुरूष पूर्वज लिछमणा की पैतृक कृषि आराजी थी। लिछमणा के फौत होने पर विरासत में उसके तीनों पुत्रों जगमाल पुत्र लिछमणा, किशना पुत्र लिछमणा व भोमा पुत्र लिछमणा को प्राप्त हुई। लिछमणा का देहांत बंदोबस्त प्रक्रिया से पूर्व ही संवत् 1990 में हो चुका था।
- लिछमणा की फौत उपरांत लिछमणा द्वारा धारित कृषि भूमि तीनों पुत्रों जगमाल, किशना व भोमा को उतराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। तत्समय लिछमणा के तीनों पुत्रों का संयुक्त हिन्दू परिवार होने के कारण उक्त पैतृक भूमि पर तीनों पुत्रों का समान रूप से कब्जा काश्त कायम रहा। तत्पश्चात संवत् 2000 में किशना पुत्र लिछमणा अपने दोनो भाईयों जगमाल व भोमा से अलग हो गया। इस कारण किशना को उक्त पैतृक संपति में 1/3 हिस्से की भूमि आपसी मौखिक बंटवारे के माध्यम से दी जाकर शेष 2/3 हिस्से की भूमि संयुक्त रूप से जगमाल व भोमा को दी गई। किशना को खसरा संख्या 37/119—05 बीघा, 145/01—08 बीघा, 35/04 बिस्वा बेरी, 36/04 बिस्वा ढाणी मौजा पुंजाबेरी तथा खसरा संख्या 90/12—08 बीघा, 89/90—09 बीघा मौजा हेराज का गोल उक्त मौखिक बंटवारे में दी गई। किशना को बंटवारे में दी गई भूमि शेष भूमि से गुणवता में कमतर होने के कारण अपने 1/3 हिस्से में आई आराजी रकबे से करीब 17 बीघा भूमि अधिक दी गई। उक्त मौखिक विभाजन तत्पश्चात किशना का संवत् 2001 में देहांत हो गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

- कि बंदोबस्त के समय संवत् 2011—12 में जगमाल व भोमा पिसरान लिछमणा का संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान जगमाल था। उक्त मौखिक विभाजन के पश्चात किशना का अलग खाता बनने के बाद शेष 2/3 भूमि पर जगमाल व भोमा संयुक्त रूप से बराबर—बराबर रकबे पर काबिज काश्त रहे। इसी अनुसार बंदोबस्त संवत् 2011—12 ने खसरा संख्या 37/154 बीघा मौजा हेराज का गोल में जगमाल व भोमा का बहिस्सा बराबर पर्चा लगान जारी किया गया। परंतु मौजा पुंजाबेरी में जगमाल व भोमा की संयुक्त खातेदारी आराजी में से खसरा संख्या 133/34—01 बीघा, 146/120—11 बीघा भूमि गलत तरीके से भोमा पुत्र लिछमणा का नाम हटाकर केवल जगमाल पुत्र लिछमणा की खातेदारी में दर्ज कर दी। इसी प्रकार खसरा संख्या 34/28—07 बीघा, 143/13—14 बीघा, 147/44—13 बीघा कुल 86—14 बीघा भूमि ही भोमा पुत्र लिछमणा की खातेदारी में बंदोबस्त के कर्मचारियों के साथ मिलकर जगमाल द्वारा गलत रूप से दर्ज करवा दी।
- कि जगमाल व भोमा की उक्त संयुक्त आराजी रकबा 241—06 बीघा भूमि में से 120—13 बीघा भूमि भोमा पुत्र लिछमणा के हिस्से में आती है। भोमा पुत्र लिछमणा इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। परंतु जगमाल ने बंदोबस्त कर्मचारियों के साथ मिलकर कुल 86—14 बीघा भूमि भोमा के नाम दर्ज करवाई। इस प्रकार भोमा को करीब 34 बीघा भूमि कम दर्ज करवाई तथा जगमाल ने अपने नाम अधिक भूमि दर्ज करवाई।
- कि वर्तमान में जगमाल व भोमा का देहांत हो चुका है। जगमाल व भोमा का संयुक्त हिन्दू परिवार का विघटन हो चुका है। वर्तमान में जगमाल व भोमा के विधिक वारिस मौके पर काबिज काश्त है। इस प्रकार उक्त मुतनाजा आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दुरस्त किया जाकर संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावें। साथ ही उक्त आराजी का मुताबिक मौके पर काबिज काश्त विभाजन किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कियाः—
   - कि उक्त मुतनाजा आराजी संयुक्त परिवार के पुरूष पूर्वज लिछमणा की पैतृक कृषि आराजी थी। लिछमणा के फौत होने पर विरासत में उसके तीनों पुत्रों जगमाल पुत्र लिछमणा, किशना पुत्र लिछमणा व भोमापुत्र लिछमणा को प्राप्त हुई। लिछमणा का देहांत बंदोबस्त प्रक्रिया से पूर्व ही हो चुका था। वक्त बंदोबस्त से पूर्व ही लिछमणा के तीनों पुत्र जगमाल, किशना व भोमा तीनों आपस में अलग—अलग हो चुके थे। इसी प्रकार तीनों अलग—अलग आराजी पर काबिज काश्त थे।
   - कि बंदोबस्त प्रक्रिया के समय उक्त आराजी का पर्चा लगान सही जारी हुआ। क्योंकि वक्त बंदोबस्त लिछमणा के तीनों पुत्र अलग—अलग होकर अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त थे। साथ ही उक्त आराजी का बंदोबस्त से पूर्व ही अलग—अलग काबिज होने के कारण बंदोबस्त द्वारा सही तरीके से पट्टे जारी किए गए। उक्त पट्टों पर किसी खातेदार द्वारा कोई आपत्ति नहीं दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 18:47:23 IST
Reason: SelfAttested

- कि लिछमणा का देहांत बंदोबस्त पूर्व ही हो चुका था। असल में बंदोबस्त से पूर्व आराजी को जागीरदार से खेती करने हेतु हासिल पर लिया जाता था। वादी के पूर्वज भोमा द्वारा करीब 86—14 बीघा भूमि जागीरदार से हासिल पर ली गई थी जबकि जगमाल द्वारा करीब 154—12 बीघा भूमि जागीरदार से हासिल पर ली गई थी। बंदोबस्त संवत् 2012 के समय मौके पर खेती के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। बंदोबस्त संवत् 2012 के समय संयुक्त हिन्दू परिवार अस्तित्व नहीं था। जगमाल व भोमा अपनी—अपनी स्वअर्जित भूमि पर पृथक—पृथक रूप से काबिज काश्त थे। इस प्रकार उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी नहीं होकर स्वअर्जित आराजी थी जो बंदोबस्त संवत् 2012 के समय अलग—अलग खातेदारी में दर्ज हुई।
- कि बंदोबस्त संवत् 2012 के समय पर्चा लगान मजमेआमे दिए गए। इसकी चौसाला खतौनी पृथक—पृथक तैयार की गई। साथ ही खसरा गिरदावरी में कृषक का इन्द्राज अपने—अपने नाम का होता आया है। प्रत्येक पक्ष अपना लगान स्वयं अदा करते रहे है। इस प्रकार भोमा पुत्र लिछमणा को उक्त राजस्व इन्द्राज की पूर्ण जानकारी थी। इस आधार पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं बनने के कारण दावा काबिल—ए—खारिज है।
- कि मौके पर जगमाल व भोमा के वारिस का कब्जा आदिनांक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार ही है। अतः वक्त बंदोबस्त लिछमणा के तीनों पुत्र अलग—अलग होकर अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में तनकियात कायम किए गए। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. आया गत बंदोबस्त के समय पदाकारो के पूर्वज जगमाल व भोमा का संयुक्त हिन्दू परिवार था जिसका कर्ता जगमाल था?

.....वादी

2. वादग्रस्त खेत ग्राम पूंजाबेरी के खसरा संख्या 34 रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 143 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 146 रकबा 120 बीघा 11 बिस्वा खसरा संख्या 147 रकबा 44 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 133 रकबा 34 बीघा 01 बिस्वा भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/2 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण के 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार पृथक से विभाजन करवाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

3. आया मौजा हेराज का गोल के खेत खसरा संख्या 37 रकबा 154 बीघा भूमि में वादीगण के घोषित 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार पृथक से विभाजन करवाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

4. उपरोक्त वादग्रस्त खसरा संख्या की भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से की कब्जा—काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 18:47:23 IST
Reason: SelfAttested

हस्तक्षेप नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी करवाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

5. *आया प्रतिवादीगण वादीगण से विशेष खर्चा के रूपये 5000 प्राप्त करने के अधिकारी है?*

.....वादीगण

6. *अन्य दादरसी*

.....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

संवत/विवरण	प्रदर्श
पर्चा लगान संख्या 07 वक्त सेटलमेंट मौजा पूंजाबेरी	प्रदर्श—डी01
पर्चा लगान संख्या 13 वक्त सेटलमेंट मौजा पूंजाबेरी	प्रदर्श—डी02
पर्चा लगान संख्या 05 वक्त सेटलमेंट मौजा पूंजाबेरी	प्रदर्श—डी03
पर्चा लगान संख्या 10 वक्त सेटलमेंट मौजा हेराज का गोल	प्रदर्श—डी04
पर्चा लगान संख्या 5 वक्त सेटलमेंट मौजा हेराज का गोल	प्रदर्श—डी05
नामांतरकरण संख्या 52 मौजा हेराज का गोल	प्रदर्श—डी06
जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 खाता संख्या 05 मौजा भांभुओ का वास	प्रदर्श—डी07
जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 खाता संख्या 4 मौजा पुंजाबेरी	प्रदर्श—डी08
जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 खाता संख्या 29 मौजा पुंजाबेरी	प्रदर्श—डी09
जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 खाता संख्या 6 मौजा हेराज का गोल	प्रदर्श—डी10
जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 खाता संख्या 8 मौजा पुंजाबेरी	प्रदर्श—डी11
जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 खाता संख्या 50 मौजा पुंजाबेरी	प्रदर्श—डी12
जमाबंदी संवत् 2057 से 2060 खाता संख्या 11 मौजा हेराज का गोल	प्रदर्श—डी13
खेता पुत्र जगमाल का दावा संख्या 27/72 में जवाब	प्रदर्श—डी14

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
पुनमाराम पुत्र भोमाराम	जाट	पुंजाबेरी	पी0डब्ल्यू—1
राहींगाराम पुत्र खेमाराम	जाट	पुंजाबेरी	पी0डब्ल्यू—2
रतना पुत्र दाना	जाट	पुंजाबेरी	पी0डब्ल्यू—3

6. प्रकरण में पुनमाराम पुत्र भोमाराम पी0डब्ल्यू—01, राहींगाराम पुत्र खेमाराम पी0डब्ल्यू—02 व रतना पुत्र दाना पी0डब्ल्यू—3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- उक्त मुतनाजा आराजी संयुक्त परिवार के पुरूष पूर्वज लिछमणा की पैतृक कृषि आराजी थी। लिछमणा के फौत होने पर विरासत में उसके तीनों पुत्रों जगमाल पुत्र लिछमणा, किशना पुत्र लिछमणा व भोमा पुत्र लिछमणा को प्राप्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

हुई। लिछमणा का देहांत बंदोबस्त प्रक्रिया से पूर्व ही संवत् 1990 में हो चुका था।

- लिछमणा की फौत उपरांत लिछमणा द्वारा धारित कृषि भूमि तीनों पुत्रों जगमाल, किशना व भोमा को उतराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। तत्समय लिछमणा के तीनों पुत्रों का संयुक्त हिन्दू परिवार होने के कारण उक्त पैतृक भूमि पर तीनों पुत्रों का समान रूप से कब्जा काश्त कायम रहा। तत्पश्चात संवत् 2000 में किशना पुत्र लिछमणा अपने दोनो भाईयों जगमाल व भोमा से अलग हो गया। इस कारण किशना को उक्त पैतृक संपति में 1/3 हिस्से की भूमि आपसी मौखिक बंटवारे के माध्यम से दी जाकर शेष 2/3 हिस्से की भूमि संयुक्त रूप से जगमाल व भोमा को दी गई। किशना को खसरा संख्या 37/119—05 बीघा, 145/01—08 बीघा, 35/04 बिस्वा बेरी, 36/04 बिस्वा ढाणी मौजा पुंजाबेरी तथा खसरा संख्या 90/12—08 बीघा, 89/90—09 बीघा मौजा हेराज का गोल उक्त मौखिक बंटवारे में दी गई। किशना को बंटवारे में दी गई भूमि शेष भूमि से गुणवता में कमतर होने के कारण अपने 1/3 हिस्से में आई आराजी रकबे से करीब 17 बीघा भूमि अधिक दी गई। उक्त मौखिक विभाजन तत्पश्चात किशना का संवत् 2001 में देहांत हो गया।
- कि बंदोबस्त के समय संवत् 2011—12 में जगमाल व भोमा पिसरान लिछमणा का संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान जगमाल था। उक्त मौखिक विभाजन के पश्चात किशना का अलग खाता बनने के बाद शेष 2/3 भूमि पर जगमाल व भोमा संयुक्त रूप से बराबर—बराबर रकबे पर काबिज काश्त रहे। इसी अनुसार बंदोबस्त संवत् 2011—12 ने खसरा संख्या 37/154 बीघा मौजा हेराज का गोल में जगमाल व भोमा का बहिस्सा बराबर पर्चा लगान जारी किया गया। परंतु मौजा पुंजाबेरी में जगमाल व भोमा की संयुक्त खातेदारी आराजी में से खसरा संख्या 133/34—01 बीघा, 146/120—11 बीघा भूमि गलत तरीके से भोमा पुत्र लिछमणा का नाम हटाकर केवल जगमाल पुत्र लिछमणा की खातेदारी में दर्ज कर दी। इसी प्रकार खसरा संख्या 34/28—07 बीघा, 143/13—14 बीघा, 147/44—13 बीघा कुल 86—14 बीघा भूमि ही भोमा पुत्र लिछमणा की खातेदारी में बंदोबस्त के कर्मचारियों के साथ मिलकर जगमाल द्वारा गलत रूप से दर्ज करवा दी।
- कि जगमाल व भोमा की उक्त संयुक्त आराजी रकबा 241—06 बीघा भूमि में से 120—13 बीघा भूमि भोमा पुत्र लिछमणा के हिस्से में आती है। भोमा पुत्र लिछमणा इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। परंतु जगमाल ने बंदोबस्त कर्मचारियों के साथ मिलकर कुल 86—14 बीघा भूमि भोमा के नाम दर्ज करवाई। इस प्रकार भोमा को करीब 34 बीघा भूमि कम दर्ज करवाई तथा जगमाल ने अपने नाम अधिक भूमि दर्ज करवाई।
- कि वर्तमान में जगमाल व भोमा का देहांत हो चुका है। जगमाल व भोमा का संयुक्त हिन्दू परिवार का विघटन हो चुका है। वर्तमान में जगमाल व भोमा के विधिक वारिस मौके पर काबिज काश्त है। इस प्रकार उक्त मुतनाजा आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दुरस्त किया जाकर संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावें। साथ ही उक्त आराजी का मुताबिक मौके पर काबिज काश्त विभाजन किया जावे।
- इसके समर्थन में वादी द्वारा पैरा—04 मे अंकित दस्तावेज प्रदर्श करवाएं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रकरण में हाजा कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/2024/1648 दिनांक 09.12.2024 तहसीलदार से जांच रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में तहसीलदार गुडामालानी के पत्रांक/भू.अ./2025/680 दिनांक 28.04.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त जांच रिपोर्ट का विवरण निम्न प्रकार हैः—

    1. *ग्राम पूंजाबेरी खसरा नं. 34, 143, 147, 146, 133 (मूल खसरे हैं, ख.नं. 133 वर्तमान ग्राम भांभुओं का वास है) उक्त खसरों का कुल रकबा वर्तमान रेकर्ड अनुसार 38.7040 हैक्टयर भूमि दर्ज है। जिसमें मौके पर भोमा पुत्र लिछमणा के वारिशान के कब्जा—काश्त में 13.8402 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा है। जगमाल पुत्र लिछमणा के वारिशान के कब्जा काश्त में 22.6918 हैक्टेयर भूमि है, 2.1720 हैक्टेयर भूमि विवाद में है, जो पिछले 32 वर्षो से विवाद होने से काश्त नहीं की गई है। जिसे संलग्न नक्शा में विवादग्रस्त दर्शाया है।*
    2. *ग्राम हेराज का गोल के खसरा नं. 37 रकबा 24.9286 हैक्टयर में भोमा पुत्र लिछमणा के वारिसान 1/2 हिस्से पर काबिज हैं, तथा जगमाल पुत्र लिछमणा के वारिशान भी 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है।*
    3. *ग्राम पूंजाबेरी के खसरा नं. 34, 147, 168/143 भोमा पुत्र लिछमणा के नाम वक्त सेटलमेन्ट भी अलग ही दर्ज हुआ।*

8. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त मुतनाजा आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दुरस्त किया जाकर संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावें। साथ ही उक्त आराजी का मुताबिक मौके पर काबिज काश्त विभाजन किया जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि वक्त बंदोबस्त लिछमणा के तीनों पुत्र अलग—अलग होकर अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज करते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन किया जावे।

9. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में प्रथम तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में प्रथम तनकी निम्न प्रकार हैः—

    1. *आया गत बंदोबस्त के समय पदाकारो के पूर्वज जगमाल व भोमा का संयुक्त हिन्दू परिवार था जिसका कर्ता जगमाल था?*

    .....*वादी*

10. प्रकरण में प्रथम तनकी हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि जगमाल व भोमा का संयुक्त हिन्दू परिवार था। जिसका कर्ता—धर्ता जगमाल था। जबकि वादी के इस अभिकथन के खंडन में प्रतिवादी का अभिकथन है कि लिछमणा की मृत्यु के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात तीनो पुत्र अलग—अलग काबिज काश्त थे। उक्त तीनों पुत्रों का कोई संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं था। लिछमणा के तीनो पुत्र ही अलग—अलग रहते थे। इस कारण सभी के अलग—अलग परिवार थे। साथ ही अलग—अलग परिवारों के अलग—अलग खातेदार थे।

11. इस संबंध में वादी का अभिकथन है कि लिछमणा का देहांत संवत् 1990 में हुआ। किशना संवत् 2000 में अपने तीनों भाईयों से अलग हो गया। संवत् 2001 में किशना का देहांत हो गया। जगमाल का देहांत संवत् 2014 में हो गया। इसी प्रकार संवत् 2034 में वादीगण के पिता भोमा का देहांत भी हो गया। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में जगमाल व भोमा के संयुक्त परिवार के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। केवल जमाबंदी में जगमाल व भोमा का एकसाथ नाम दर्ज होने मात्र से ही दोनों के परिवार को संयुक्त परिवार नहीं माना जा सकता है। जमाबंदी में एक साथ खेती करने पर एक ही परिवार या परिवार से भिन्न व्यक्तियों के नाम संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज किए जाते है। प्रकरण में उल्लेखनीय है कि संवत् 2011—12 में बंदोबस्त हुआ। उक्त बंदोबस्त 2011—12 के केवल 02 साल बाद ही जगमाल का देहांत हो गया। इससे प्रतीत होता है कि बंदोबस्त संवत् 2011—12 के समय जगमाल की उम्र काफी अधिक रही होगी। इसी प्रकार संवत् 2034 में भोमा का भी देहांत हो गया। भोमा की मृत्यु बंदोबस्त संवत् 2011—12 के करीब 22 वर्ष पश्चात हुई। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी ने यह अभिकथन नहीं किए है कि जगमाल व भोमा की मृत्यु आकस्मिक मृत्यु थी। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जगमाल व भोमा की मृत्यु पूरी उम्र प्राप्त करने के बाद हुई होगी। साथ ही यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बंदोबस्त संवत् 2011—12 के समय जगमाल व भोमा प्रौढावस्था में रहने के कारण पृथक—पृथक पर्चा लगान जारी किया गया। इससे न्यायालय के विनम्र मत में जगमाल व भोमा का परिवार अलग—अलग परिवार के रूप में अपने—अपने खेती करते हुए पृथक रूप से निवास करना प्रतीत होता है। इससे जगमाल के जगमाल व भोमा के संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान होना प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार वादी जगमाल को अपने परिवार का कर्ता खानदान होना साबित करने में असफल रहे है। इस कारण तनकी संख्या 01 अस्वीकार की जाती है।

12. प्रकरण में द्वितीय तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में द्वितीय तनकी निम्न प्रकार हैं:—

> 2. *वादग्रस्त खेत ग्राम पूंजाबेरी के खसरा संख्या 34 रकबा 28 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 143 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 146 रकबा 120 बीघा 11 बिस्वा खसरा संख्या 147 रकबा 44 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 133 रकबा 34 बीघा 01 बिस्वा भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/2 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण के 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार पृथक से विभाजन करवाने के अधिकारी था?*
>
> .....*वादी*

13. प्रकरण में द्वितीय तनकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि बंदोबस्त के समय संवत् 2011—12 में जगमाल व भोमा पिसरान लिछमणा का संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान जगमाल था। उक्त मौखिक विभाजन के पश्चात किशना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

का अलग खाता बनने के बाद शेष 2/3 भूमि पर जगमाल व भोमा संयुक्त रूप से बराबर—बराबर रकबे पर काबिज काश्त रहे।जगमाल व भोमा की उक्त संयुक्त आराजी रकबा 241—06 बीघा भूमि में से 120—13 बीघा भूमि भोमा पुत्र लिछमणा के हिस्से में आती है। भोमा पुत्र लिछमणा इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। उक्त मुतनाजा आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन दुरस्त किया जाकर संयुक्त खातेदारी दर्ज की जावें। जबकि वादी के इस अभिकथन के खंडन में प्रतिवादी का अभिकथन है कि मौके पर जगमाल व भोमा के वारिस का कब्जा आदिनांक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार ही है। अतः वक्त बंदोबस्त लिछमणा के तीनों पुत्र अलग—अलग होकर अपनी अपनी आराजी पर काबिज काश्त होने के कारण वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

14. बंदोबस्त प्रक्रिया संवत् 2012 वर्ष 1955 में संपन्न हुई थी। वादीगण व प्रतिवादीगण तब से करीब 60 वर्ष तक अपनी अपनी आराजी पर शांतिपूर्वक खेती करते आ रहे हैं। वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करवाने का कोई अभिकथन नहीं किया है। इस संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत गवाहों के अभिकथनों से भी वादी को कोई सहायता नहीं मिलती है। वादी यह स्पष्ट करने में भी असफल रहे है कि करीब 60 वर्ष पश्चात वादी को किस प्रकार वादहेतुक उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार दावा में उल्लेखनीय है कि वादी व प्रतिवादी करीब 60—70 वर्ष से मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से पीढीयों से काबिज काश्त है।

15. प्रकरण में वादीगण यह स्पष्ट करने में असफल रहे है कि वादीगण वक्त बंदोबस्त ज्यादा रकबे पर काबिज थे। परंतु बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा कम आराजी का पर्चा लगान जारी कर खतौनी बंदोबस्त में कम रकबा दर्ज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व गवाह के अवलोकन से यही प्रतीत होता है कि जितने रकबे पर वादीगण व प्रतिवादी वक्त बंदोबस्त काबिज काश्त थें। उतने ही रकबे का पर्चा लगान जारी कर खतौनी बंदोबस्त में रकबा दर्ज किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि लिछमणा के तीन पुत्र किशना, जगमाल व भोमा थे। परंतु प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के भाई किशना के किसी वारिस को वादी द्वारा प्रतिपरीक्षण हेतु गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि किशना, जगमाल व भोमा का बंदोबस्त संवत् 2011—12 से पूर्व से ही मौके पर पृथक—पृथक कब्जा काश्त था।

16. प्रकरण में उल्लेखनीय है कि संवत् 2011—12 में बंदोबस्त हुआ। उक्त बंदोबस्त 2011—12 के केवल 02 साल बाद ही जगमाल का देहांत हो गया। इससे प्रतीत होता है कि बंदोबस्त संवत् 2011—12 के समय जगमाल की उम्र काफी अधिक रही होगी। इसी प्रकार संवत् 2034 में भोमा का भी देहांत हो गया। भोमा की मृत्यु बंदोबस्त संवत् 2011—12 के करीब 22 वर्ष पश्चात हुई। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी ने यह अभिकथन नहीं किए है कि जगमाल व भोमा की मृत्यु आकस्मिक मृत्यु थी। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जगमाल व भोमा की मृत्यु पूरी उम्र प्राप्त करने के बाद हुई होगी। साथ ही यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बंदोबस्त संवत् 2011—12 के समय जगमाल व भोमा प्रौढावस्था में रहने के कारण पृथक—पृथक पर्चा लगान जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 18:47:23 IST
Reason: SelfAttested

17. इसी प्रकार प्रकरण में उल्लेखनीय है कि बंदोबस्त संवत् 2012 के समय पर्चा लगान मजमेआमे दिए गए। वादी द्वारा पर्चा लगान व खतौनी बंदोबस्त के इन्द्राज के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि बंदोबस्त संवत् 2011—12 के समय भोमा पुत्र लिछमणा के द्वारा व्यस्क होने के बावजूद भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही वादी के पूर्वज भोमा द्वारा पर्चा लगान के आधार पर तैयार की गई खतौनी बंदोबस्त के राजस्व इन्द्राज को कभी चुनौती नहीं दी गई। इसी प्रकार इसकी चौसाला खतौनी पृथक—पृथक तैयार की गई। इस पर भी वादी के पूर्वज भोमा द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। यहां यह भी विचारणीय है कि खसरा गिरदावरी में कृषक का इन्द्राज के रूप में भोमा वल्द लिछमणा के इन्द्राज का कोई दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि यहां उल्लेखनीय है कि पहले के समय में खसरा गिरदावरी में मौके पर काबिज काश्त काश्तकार का नाम अंकित किया जाता था। वादी द्वारा मुतनाजा आराजी में अपने 1/2 हिस्से के संबंध में अदा किए गए लगान की कोई रसीद प्रस्तुत नहीं की है। इससे प्रतीत होता है कि प्रत्येक पक्ष मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्से के आधार पर अपना लगान स्वयं अदा करते रहे है। इस प्रकार वादीगण का उक्त मुतनाजा आराजी में 1/2 हिस्सा का दावा दस्तावेज व गवाह के आधार पर साबित करने में असफल रहे है। इस आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में जगमाल व भोमा का संयुक्त परिवार नहीं होने तथा बंदोबस्त संवत् 2011—12 के समय मौके पर कब्जे काश्त अनुसार ही पर्चा लगान जारी किए जाने के आधार पर वादीगण का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा का दावा प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है।

18. इसी प्रकार प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी के पत्रांक/भू.अ./2025/680 दिनांक 28.04.2025 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जगमाल व भौमा का कब्जा मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार ही है। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जगमाल व भौमा वक्त बंदोबस्त इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त थे। इस प्रकार वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभावी होने के दिनांक 15.10.1955 के समय मौके पर काबिज काश्त रकबे के अनुसार खातेदार घोषित होकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या—01 को साबित करने में असफल रहे हैं। इस कारण तनकी संख्या—02 अस्वीकार की जाती है।

19. प्रकरण में तृतीय तनकी का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तृतीय तनकी निम्न प्रकार हैंः—

    3. मौजा हेराज का गोल के खेत खसरा संख्या 37 रकबा 154 बीघा भूमि में वादीगण के घोषित 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार पृथक से विभाजन करवाने के अधिकारी था?

    .....वादी

20. प्रकरण में तृतीय तनकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा पश्चात् खाता विभाजन से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण में घोषणा का अनुतोष अस्वीकार किए जाने के कारण संशोधित राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर खाता विभाजन किए जाने का प्रकरण उपस्थित नहीं होता है। इस तनकी पर पृथक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 18:47:23 IST
Reason: SelfAttested

से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः तनकी संख्या 03 अस्वीकार की जाती है।

21. प्रकरण में तनकी संख्या 04 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैंः—

    4. वादग्रस्त खसरा संख्या की भूमि में वादीगण के 1/2 हिस्से की कब्जा—काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी करवाने के अधिकारी था?

    .....वादी

22. प्रकरण में तनकी संख्या 04 खातेदारी अधिकारों की घोषणा पश्चात् स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। उक्त तनकी संख्या 04 को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण में घोषणा का अनुतोष अस्वीकार किए जाने के कारण वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किए जाने का प्रकरण उपस्थित नहीं होता है। इस तनकी पर पृथक से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः तनकी संख्या 04 अस्वीकार की जाती है।

23. प्रकरण में तनकी संख्या 05 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 05 निम्न प्रकार हैंः—

    5. प्रतिवादीगण वादीगण से विशेष खर्चा के रूपये 5000 प्राप्त करने के अधिकारी था?

    .....प्रतिवादी

24. प्रकरण में तनकी संख्या 05 दावा के खर्चे से संबंधित है। उक्त तनकी संख्या 05 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। इस तनकी पर पृथक से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः तनकी संख्या 05 अस्वीकार की जाती है।

25. इस प्रकार न्यायालय के विनम्र मत में जगमाल व भोमा का संयुक्त परिवार नहीं होने तथा बंदोबस्त संवत् 2011—12 के समय मौके पर कब्जे काश्त अनुसार ही पर्चा लगान जारी किए जाने के आधार पर वादीगण का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा का दावा प्रमाणित प्रतीत नहीं होता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 09.06.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2020 / 00263 दर्ज तिथिः— 30.09.2002

1. लालाराम पुत्र भोमाराम के फोत कायम मुकाम
   1 / 1 जगमालराम पुत्र लालाराम
   1 / 2 हरीराम पुत्र लालाराम
   1 / 3 मगाराम पुत्र लालाराम
   1 / 4 हरखु देवी पत्नी लालाराम
2. पुनमाराम पुत्र भोमाराम
3. दलाराम पुत्र भोमाराम जातियान जाट
   निवासीयाम पुंजाबेरी तहसील गुडामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. खेताराम पुत्र जगमाल फोत के कायम मुकाम
   1 / 1 नारीगांराम पुत्र खेताराम
   1 / 2 डुंगराराम पुत्र खेताराम
   1 / 3 जीयाराम पुत्र खेताराम
   1 / 4 अरजनराम पुत्र खेताराम
   1 / 5 जोधीदवी पुत्री खेताराम
2. मालाराम पुत्र खेताराम
   2 / 1 हेमाराम पुत्र मालाराम
   2 / 2 हीराराम पुत्र भालाराम
   2 / 3 भीखाराम पुत्र मालाराम
   2 / 4 चम्पा देवी पत्नी मालाराम
   2 / 5 लेहरो देवी पुत्री मालाराम पत्नी हेताराम
   2 / 6 कमलादेवी पुत्री मालाराम
   2 / 7 पेमी देवी पुत्री मालाराम
3. भेराराम पुत्र ईसराराम
4. शान्तिदेवी पुत्री ईसराराम पत्नी देराजराम
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested

लाला बनाम खेता
2020 / 263
निर्णय दिनांकः—09.06.2025
उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री मदनलाल विश्नोई
प्रतिवादीः—एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत इस्तकरारहक्क अस्वीकार किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 13:47:23 IST
Reason: SelfAttested